संख्या-04/2022/2006302/12-5099/54/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ::दिनांक:: 25 फरवरी, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगातमक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस०एफ०-2048-टी/नान प्लान-124/2021-22, दिनांक 10.12.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगातमक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 02-मजदूरी में रूपये 570.00 लाख, 09-विद्युत में रूपये 130.00 लाख एवं 43-सामग्री सम्पूर्ति में रूपये 1600.00 लाख अर्थात कुल रूपये 2300.00 लाख (रूपया तेइस करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, के दृष्टिगत प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

5- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- जिस मद हेतु वस्तुतः धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रही है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

7- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर किया जायेगा।

8- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान (राज्य सेक्टर) योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 02-मजदूरी, 09-विद्युत एवं 43-सामग्री सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

प्रपत्र-बी0एम0-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र बी0एम0-
09

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 103 0427 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान (राज्य सेक्टर)					
27-मद्सिडी	5500.00	2300.00	2300.00	2300.00	3200.00
कुल योग	5500.00	2300.00	2300.00	2300.00	3200.00

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 103 0300 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजना					
02-मजदूरी	1600.00	2170.00	570.00	570.00	2170.00
09-विद्युत	200.00	330.00	130.00	130.00	330.00
43-सामग्री सम्पूर्ति	1000.00	2600.00	1600.00	1600.00	2600.00
कुल योग	2800.00	5100.00	2300.00	2300.00	5100.00

(रूपये तेईस करोड़ मात्र)

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनानुतर्गत खरीफ-2021 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बीजों का वितरण न हो पाने एवं रबी 2021-22 में बीज वितरण पर भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों पर अनुदान की धनराशि की सीमा बढ़ाये जाने एवं राज्य सेक्टर से अनुदान की धनराशि कम दिये जाने के कारण बचत हो रही है।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार से न प्राप्त होने के कारण मजदूरी, सामग्री सम्पूर्ति एवं विद्युत मदों में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर0ई0- 383 -ई-1-दस-2021, दिनांक: 14-02-2022

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-1990965/12-5099/54/2021, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अमर चन्द्र)
अनु सचिव।